न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 2/2015/223 (2015/00310)

1. श्रीमती जसकंवर पुत्री सवाईसिंह, जाति राजपूत, निवासी जेठाना, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती मोहन कंवर बवेा सवाईसिंह,
2. महावीरसिंह पुत्र सवाईसिंह,
3. दशरथ सिंह पुत्र सवाई सिंह,
4. शम्भूसिंह पुत्र सवाईसिंह,
5. मोहनसिंह पुत्र सवाई सिंह,
   समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम जेठाना, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर.
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन, दिनांक 16.11.2012 अंतर्गत वाद संख्या 8/2002 (18/2010).

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्रसिंह चौहान, वकील अपीलांट ।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6.

निर्णय

दिनांकः— 18.7.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.11.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने अधी0न्याया0 में वाद वास्ते उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादी राज0 सरकार के पेश कर निवेदन किया कि वादी संख्या 1 के पति तथा वादी संख्या 2 लगायत 5 के पिता सवाईसिंह की खातेदारी की भूमि खेवट संख्या 356 खतौनी संख्या 233 के खसरा संख्या 3890, 4766, 4768, 4780, 4783, 4785, 4787, 4788 कुल किता 9 कुल रकबा 57—2—10 बीघा ग्राम जेठाना, तहसील पीसांगन जिला अजमेर में अवस्थित है । उक्त आराजियात में से सवाईसिंह के नाम जमाबंदी संवत् 2016 से 2020 में खसरा संख्या 3890, 4768, 4777, 4778, 4780, 4783, 4787 कुल किता 7 कुल रकबा 41—15—00 बीघा

भूमि दर्ज की गई जिसमें से खसरा संख्या 4768, रकबा 7—9—10 बीघा भूमि सवाईसिंह द्वारा बोदू वल्द भोला को विक्रय कर दी तथा शेष आराजियात पर बहैसियत रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्त रहा लेकिन जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 में खसरा संख्या 4783, 4785, 4787 का सवाईसिंह को गैर खातेदार अतिक्रमी तथा खसरा संख्या 3890, 4778, 4780 को सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि वादग्रस्त संपूर्ण आराजियात पर अजमेर में दिनांक 15.6.1968 को राज0काश्त0अधि0 प्रभाव में आने के समय सवाईसिंह काबिज काश्त चले आने से सवाईसिंह को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे । इसी कारण सवाईसिंह द्वारा वादग्रसत आराजियात की प्रविष्टि दुरूस्त कराने हेतु अतिरिक्त तहसीलदार, नियमन के समक्ष वाद संख्या 1059/68 पेश किया जो दिनांक 12.3.1969 को निर्णित किया जाकर खसरा संख्या 3890, 4778, 4783, 4785, 4787 व 4785 का धारा 15 राज0काश्त0अधि0 के तहत सवाईसिंह को खातेदार घोषित किया गया । लेकिन उक्त आदेश का इंद्राज अभिलेख में सहवन से नहीं किया गया जबकि खातेदार काबिज काश्तकार सवाईसिंह ही था । अतः वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण को साबिक खसरा संख्या 3890, 4778, 4783, 4785, 4787 व 4785 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी राज0 सरकार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.11.2012 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 5 का वाद खारिज कर दिया। अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीया के पिता सवाईसिंह की कदीमी कब्जे काश्त की आराजियात है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत वाद में पक्षकार कायम नहीं किया जिससे अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकी जबकि विवादित आराजियात में अपीलांट का बहिस्सा बराबर स्वत्व व अधिकार है । अधी0न्याया0 के निर्णय से अपीलांट के हक व अधिकार भी प्रभावित हुए है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि चूंकि अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकार नहीं था जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी निर्णय दिनांक को नहीं हो सकी । दिनांक 26.11.2014 को जब प्रार्थिया अपने पीहर आई तो अप्रार्थीगण ने फसल एवं हिसाब देने से इंकार कर दिया और कहा कि हम दो वर्ष पूर्व ही मुकदमा हार चुके है इसलिये जमीन न तो हमारी है और न तुम्हारी है इसलिये हम कोई बांटा नहीं देगे । तब अपीलांट ने दिनांक 28.11.2014 को पीसांगन जाकर स्वंय जानकारी की तब निर्णय व डिक्री दिनांक 16.11.2012 की जानकारी हुई तब उसी दिन निर्णय की प्रति हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 1.12.2014 को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर अपने अधिवक्ता से कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित

आराजियात तत्कालीन खातेदार सवाईसिंह की थी तथा अपीलांट सवाईसिंह की जायंदा पुत्री है जिसे वादग्रस्त आराजियात पारिवारिक हिस्से के मुताबिक जरिये विरासत प्राप्त हुई है एवं अपीलांट के हक व अधिकार विवादित आराजियात में निहित है । लेकिन वादीगण/रेस्पो0 ने अपीलांट को आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार होने के बावजदू प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं किया जिससे अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष पक्ष, साक्ष्य एवं सबूत पेश नहीं कर सकी थी । बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट तथा वादी संख्या 1 के पति तथा वादी संख्या 2 लगायत 5 के पिता सवाईसिंह की खातेदारी की भूमि खेवट संख्या 356 खतौनी संख्या 233 के खसरा संख्या 3890, 4766, 4768, 4780, 4783, 4785, 4787, 4788 कुल किता 9 कुल रकबा 57–2–10 बीघा ग्राम जेठाना, तहसील पीसांगन जिला अजमेर में अवस्थित है । उक्त आराजियात में से सवाईसिंह के नाम जमाबंदी संवत् 2016 से 2020 में खसरा संख्या 3890, 4768, 4777, 4778, 4780, 4783, 4787 कुल किता 7 कुल रकबा 41–15–00 बीघा भूमि दर्ज की गई जिसमें से खसरा संख्या 4768, रकबा 7–9–10 बीघा भूमि सवाईसिंह द्वारा बोदू वल्द भोला को विक्रय कर दी तथा शेष आराजियात पर बहैसियत रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्त रहा लेकिन जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 में खसरा संख्या 4783, 4785, 4787 का सवाईसिंह को गैर खातेदार अतिक्रमी तथा खसरा संख्या 3890, 4778, 4780 को सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि वादग्रस्त संपूर्ण आराजियात पर अजमेर में दिनांक 15.6.1968 को राज0काश्त0अधि0 प्रभाव में आने के समय सवाईसिंह काबिज काश्त चले आने से सवाईसिंह को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे । इसी कारण सवाईसिंह द्वारा वादग्रसत आराजियात की प्रविष्टि दुरूस्त कराने हेतु अतिरिक्त तहसीलदार, नियमन के समक्ष वाद संख्या 1059/68 पेश किया जो दिनांक 12.3.1969 को निर्णित किया जाकर खसरा संख्या 3890, 4778, 4783, 4785, 4787 व 4785 का धारा 15 राज0काश्त0अधि0 के तहत सवाईसिंह को खातेदार घोषित किया गया । लेकिन उक्त आदेश का इंद्राज अभिलेख में सहवन से नहीं किया गया जबकि खातेदार काबिज काश्तकार सवाईसिंह ही था । प्रतिवादी राज्य सरकार ने ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजियात के अपीलांट एवं वादीगण के पिता सवाईसिंह खातेदार काश्तकार नहीं थे । अधी0न्याया0 ने वादीगण का वाद इस आधार पर निरस्त किया है कि वादीगण ने विवादित आरायिजात को खुदकाश्त घोषित नहीं कराया है जबकि जो भूमि जागीरदार द्वारा धारण की जाती थी तथा उसमें भी जो भूमि स्वंय द्वारा काश्त की जाती थी उसी को खुदकाश्त घोषित करवाया जाना आवश्यक था जबकि विवादित आराजियात प्रारंभ से अपीलांट एवं वादीगण के पिता सवाईसिंह की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात रही है । सवाईसिंह को धारा 15 राज0काश्त0अधि0 के तहत खातेदार घोषित किया गया है इसलिये विवादित आराजियात को खुदकाश्त घोषित कराने की आवश्यकता नही थी । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय द्वारा वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा अपीलांट को वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 5 के साथ खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी राज्य सरकार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत है । अतः अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त की जाकर वादीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 956 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि विवादित आराजियात अपीलांट के पिता सवाईसिंह की खातेदारी की रही है किन्तु वादीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष उसे पक्षकार नहीं बनाया जिससे उसके हक व अधिकार प्रभावित हुए है । अपीलांट द्वारा किया गया कथन उचित है तथा अपीलांट के उक्त कथन का रेस्पो0 द्वारा खण्डन भी नही किया गया है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट सवाई सिंह की जांयदा पुत्री है जिसे अधी0न्याया0 में पक्षकार नियुक्त नहीं किया गया था इसलिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांट को प्रारंभ से होना नहीं माना जा सकता है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

10. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट का कथन है कि अपीलांट खातेदार सवाईसिंह की जायंदा पुत्री है जिसका विवादित आराजियात में बहिस्सा बराबर हक व अधिकार है । अधी0 न्यायालय के समक्ष वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 व हाजा न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने कथन किया है कि सवाईसिंह के नाम जमाबंदी संवत् 2016 से 2020 में खसरा संख्या 3890, 4768, 4777, 4778, 4780, 4783, 4787 कुल किता 7 कुल रकबा 41–15–00 बीघा भूमि दर्ज की गई जिसमें से खसरा संख्या 4768, रकबा 7–9–10 बीघा भूमि सवाईसिंह द्वारा बोदू वल्द भोला को विक्रय कर दी तथा शेष आराजियात पर बहैसियत रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्त रहा लेकिन जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 में खसरा संख्या 4783, 4785, 4787 का सवाईसिंह को गैर खातेदार अतिक्रमी तथा खसरा संख्या 3890, 4778, 4780 को सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि वादग्रस्त संपूर्ण आराजियात पर अजमेर में दिनांक 15.6.1968 को राज0काश्त0अधि0 प्रभाव में आने के समय सवाईसिंह काबिज काश्त चले आने से सवाईसिंह को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे । इसी कारण सवाईसिंह द्वारा वादग्रसत आराजियात की प्रविष्टि दुरूस्त कराने हेतु अतिरिक्त तहसीलदार, नियमन के समक्ष वाद संख्या 1059/68 पेश किया जो दिनांक 12.3.1969 को निर्णित किया जाकर खसरा संख्या 3890, 4778, 4783, 4785, 4787 व 4785 का धारा 15 राज0काश्त0अधि0 के तहत सवाईसिंह को खातेदार घोषित किया गया । लेकिन उक्त आदेश का इंद्राज अभिलेख में सहवन से नहीं किया गया जबकि खातेदार काबिज काश्तकार सवाईसिंह ही था। चूंकि अपीलांट ने स्वंय को सवाईसिंह की पुत्री होना बताते हुए विवादित आराजियात में स्वंय का बहिस्सा बराबर हक व अधिकार होना बताया है किन्तु वादीगण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट को पक्षकार नियुक्त नहीं किया गया जिससे वह अपना पक्ष अधी0न्याया0 के समक्ष पेश नहीं कर सकी थी । अपीलांट वाद में हितबद्ध व आवश्यक पक्षकार होने से हम अपीलांट को साक्ष्य, सबूत एंव सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना न्यायोचित समझते है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

11. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.11.2012 निरस्त की जाती है एवं प्रकरण अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे अपीलांट वाद में पक्षकार नियुक्त कर, उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 18.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर